

छत्तीसगढ़ विधान सभा

पत्रक भाग – दो

सोमवार, दिनांक 13 मार्च, 2023 (फाल्गुन 22, 1944)

शुक्रवार, दिनांक 17 मार्च, 2023 हेतु निर्धारित अशासकीय विधेयक एवं अशासकीय

संकल्पों की सूचना

अशासकीय विधेयक

1. (क्रमांक – 10) छत्तीसगढ़ सामाजिक बहिष्कार (रोकथाम निषेध एवं निवारण) विधेयक, 2021 (क्रमांक 10 सन् 2021)

अशासकीय संकल्प

1. (क्रमांक – 03) सदन का यह मत है कि “छत्तीसगढ़ में सस्ते एवं सुगम सार्वजनिक परिवहन की व्यवस्था की जाये”।
(प्रस्तुतकर्ता सदस्य : श्री अजय चन्द्राकर)
2. (क्रमांक – 05) सदन का यह मत है कि “बिलासपुर न्यायधानी की विद्युत लाईनों को पूर्णतः अण्डर ग्राऊंड किया जाये”।
(प्रस्तुतकर्ता सदस्य : श्री धर्मजीत सिंह)
3. (क्रमांक – 08) सदन का यह मत है कि “छत्तीसगढ़ राज्य में सड़क दुर्घटना में मृत्यु होने पर प्राकृतिक आपदा के समान मुआवजा राशि प्रदान किया जाये”। (प्रस्तुतकर्ता सदस्य : श्री धरम लाल कौशिक)
4. (क्रमांक – 12) सदन का यह मत है कि “प्रदेश में सर्व वृद्धा पेंशन योजना के अंतर्गत 60 वर्ष से अधिक आयु के नागरिकों को 1000 रुपये प्रतिमाह 75 वर्ष से अधिक आयु के नागरिकों को 1500 रुपये प्रतिमाह सर्व विधवा पेंशन योजना के अंतर्गत छत्तीसगढ़ की सभी विधवा परित्यक्तता महिलाओं को 1000 रुपये प्रतिमाह पेंशन दिया जावे”। (प्रस्तुतकर्ता सदस्य – श्री शिवरतन शर्मा)
5. (क्रमांक – 13) यह सदन केन्द्र सरकार से अनुरोध करता है कि “छत्तीसगढ़ राज्य में निवासरत मछुआरा समुदाय-कैवट, धीवर, कहार, कहरा, मल्लाह जाति को अनुसूचित जनजाति की श्रेणी में शामिल किया जाये”। (प्रस्तुतकर्ता सदस्य – श्री सत्यनारायण शर्मा)

दिनेश शर्मा
सचिव.